हिन्दू धर्म को ठेके पर किसने उठाया ?

भोपाल में फिल्म निर्माता और अभिनेता प्रकाश झा के मुंह पर स्याही फेंकने और उनकी पूरी टीम पर प्राण घातक हमला किये जाने की वारदात ने भोपाल की साझा संस्कृति पर भी स्याही पोत दी है. इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि हिन्दू धर्म को कब और किसने बजरंग दल को ठेके पर दे दिया है? क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हिन्दू धर्म के ठेके की विज्ञप्तियां कब जारी हुईं और कितने संगठनों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

भोपाल की वारदात के बाद मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र के बयान से इस बात की पुष्टि हो गयी है कि प्रदेश में धर्म की रक्षा पुलिस और कानून नहीं बल्कि हुड़दंग दल करेगा .डॉ मिश्रा ने कहा है कि अब प्रदेश में किसी भी फिल्म की शूटिंग की इजाजत तभी दी जाएगी जब उसकी कहानी पढ़ ली जाएगी .गृह मंत्री तो गृह मंत्री मप्र पुलिस के अदने से इंस्पेक्टर तक स्क्रिप्ट पढ़ने की बात कर रहे हैं.आया कि देश में सेंसर बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है. किसी प्रदेश के गृह मंत्री और वहां की पुलिस सेंसर बोर्ड के ऊपर है .

मध्यप्रदेश की सभी सरकारें अरसे से फिल्म उद्योग को आकर्षित करने के लिए पापड़ बेल रहीं हैं. भाजपा की मामा सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया था.कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी इंदौर में आईफा का आयोजन कर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती थी किन्तु शायद ऐसा कर पाना कमलनाथ सरकार के नसीब में नहीं था .फिल्म सिटी बनाने के सरकारी संकल्पों को लेकर ढोल,मजीरे पीटने वाली सरकार अब प्रदेश में शूटिंग की इजाजत देने के लिए तालिबानी रवैया अपनाने पर मजबूर है.सरकार को मजबूर कर रहे हैं हुड़दंग दल जैसे अतिवादी संगठन, जिनकी उम्र जुम्मा-जुम्मा अभी 37 साल की है .

हिन्दू संस्कृति की सेवा और सुरक्षा के लिए डॉ परवीन तोगड़िया द्वारा रोपे गए इस पौधे में से अब कुछ और ही प्रस्फुटित हो रहा है .ये संगठन सेवा और सुरक्षा के बजाय धर्म का अघोषित ठेकेदार बन गया है. भाजपा की सरकारों ने भी चुपचाप हुड़दंग दल की इस भूमिका को स्वीकार कर लिया है. हिन्दू धर्म किसी एक संगठन या समूह की सम्पदा नहीं है ,इसलिए इसकी सुरक्षा के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को समूचा हिन्दू समाज कैसे अंगीकार कर सकता है .हिन्दू धर्म के चारों शंकराचार्य आजकल शायद मख्खियां मार रहे हैं.उन्हें हिन्दू धर्म की जैसे कोई जिक्र नहीं रही है. लगता है कि तमाम शंकराचार्यों और आचार्यों ने भी बजरंगदल के सामने घुटने तक दिए हैं .

हुड़दंग दल भाजपा और भाजपा की सरकार की मजबूरी हो सकती है लेकिन भाजपा सरकार को सोचना होगा कि देश और प्रदेश में जनादेश से चुनी गयी सरकारें केवल हिन्दुओं की नहीं है. केंद्र और राज्य की सरकार सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर बनाई है .कोई सरकार किसी एक दल को किसी एक धर्म को ठेके पर फिर कैसे उठा सकता है? हुड़दंग दल को प्रकाश झा की फिल्म पर कोई आपत्ति है तो वो थाने जाये,पुलिस में रपट लिखाये,वहां भी बात न बने तो अदालत जाये ,वहां भी सुनवाई न हो तो धरना,प्रदर्शन करे लेकिन हमले करने की छूट और अधिकार न उसे किसी ने दिया है और न उसके पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार है .विरोध के नाम पर हमला केवल और केवल अपराध है .और इसके खिलाफ यदि हमले से आतंकित पक्ष थाने में रपट लिखाने न भी जाये तो पुलिस को अपनी और से संज्ञान लेना चाहिए

मध्यप्रदेश की सरकार और पुलिस अपने संवैधानिक दायित्वों को या तो भूल गयी है या जानबूझकर भूलने का अभिनय कर रही है .कला ,संस्कृति ,सिनेमा का ठेका सरकार के पास नहीं समाज के पास है .और समाज केवल हुड़दंग दल नहीं है. उसके अलावा भी बहुत कुछ है समाज में .देश कि आजादी के 75 साल में ये सब ठेकेदारी पहली बार देखने को मिल रही है.यही हुड़दंग दल वेलेंटाइन डे पर अपनी आचार संहिता लागू करने के लिए गुंडागर्दी करता है और पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती है .प्रेम कौन,कैसे और कहाँ करे ? ये अतिवादी संगठन तय करते हैं .इन्हें आखिर ये अधिकार किसने दिया है? एक रंग का दुपट्टा न हिन्दुओं के लिए हुड़दंग का लायसेंस हो सकता है और न मुसलमानों के लिए .

कुछ वर्ष पहले इसी तरह एक जातिवादी संगठन ने एक सिनेमा को लेकर पूरे देश में तलवारें तान लेने की मुहिम चलाई थी .आज उस संगठन का कहीं आता-पता नहीं है.उक्त संगठन के साथ सेना शब्द जुड़ा था .इस देश में एक सरकारी सेना के होते हुए इस तरह की बरसाती मेंढकों जैसे सेनाएं अतीत में भी बनती,बिगड़ती रहीं हैं. बिहार तो इस तरह की सेनाओं का गढ़ था .चंबल वाले सेना के बजाय गिरोह बनाते थे लेकिन किसी ने भी धर्म का ठेकेदार बनने की कोशिश कभी नहीं की थी.

सबका साथ,सबका विकास की दुहाई देने वाली केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए,हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं .यदि निर्वाचित और संविधान की शपथ लेकर बनी सरकारें वारदातों का परोक्ष समर्थन करेंगी तो काबुल और भोपाल की सरकार में कोई ज्यादा भेद रह नहीं जाएगा .चुनी हुई सरकारें यदि इरादतन देश,प्रदेश को फांसीवाद की आग में झोकना चाहती हैं तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है.सरकारें इस बात के लिए समर्थ है कि धर्म को किसी को भी ठेके पर उठा दें और धर्म की कथित रूप से रक्षा करने वालों के आपराधिक क्रियाकलापों को उचित मानकर उन्हें संरक्षण प्रदान करें .

बीते सात साल में मीडिया सत्ता का अनुचर बनाया जा चुका है ,अब संस्कृति,साहित्य, सिनेमा और कलाएं ही बची हैं ,इन्हें भी निशाने पर ले लिये गया है .अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने धर्म को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कैद देखना चाहते हैं या उसे खुली हवा में सांस लेते देखना चाहते हैं .खतरा आपकी संस्कृति को कम धर्म को ज्यादा है .कल को धर्म के ठेकेदार सड़क पर आपस में सिरों को गेंद बनाकर चौगान खेलते नजर आने लगें तो हैरान मत होइए .ऐसा तालिबानी रवैया तो आपातकाल में भी नहीं अपनाया गया. उन दिनों भी किस्सा कुर्सी का बनी थी.उसे प्रतिबंधित किया गया लेकिन फिल्म बनाने वालों के न तो चेहरों पर स्याही मली गयी थी और न उन्हें सड़क पर पीटा गया था .लेकिन अब तो इंतिहा हो चली है अभी तो केवल आगाज हुआ है ,अंजाम आने में अभी समय है .

राकेश अचल

एलोपैथी विवाद में रामदेव के खिलाफ दायर याचिका को ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

जेपी सिंह

बाबा रामदेव जी दिल्ली हाईकोर्ट कोई गोदी मीडिया नहीं है जिसे आप विज्ञापन के नाम पर ब्लैकमेल करते हो और उन पत्रकारों को निकलवा देते हो जो सत्य कहने और लिखने की जुर्रत करते हैं।दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एलोपैथी विवाद में रामदेव को झटका देते हुए सोमवार को कहा कि यह याचिका विचार के योग्य है। इसे पहले चरण में बाहर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सक संघों के आरोप सही या गलत हैं ये बाद की बात है लेकिन केस को यूं नहीं फेंक सकते।

चिकित्सक संघों ने दलील दी है कि योग गुरु अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह न केवल एलोपैथिक उपचार, बल्कि कोविड-19 के टीके के बारे में भी आम जनता के मन में संदेह पैदा कर रहे थे। आरोप लगाया गया था कि रामदेव के द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। एसोसिएशन्स के द्वारा कहा गया कि रामदेव के द्वारा गलत तरीका अपनाकर यह पेश किया गया कि एलोपैथी कोरोना से संक्रमित कई लोगों के लिए मौत का कारण बनी थी और इससे जुड़े हजारों डॉक्टर्स लोगों की मौत का कारण बन रहे थे।

डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने पहले तर्क दिया था कि सरकार के मना करने के बावजूद, रामदेव ने एक इम्यून बूस्टर को दवा के रूप में बढ़ावा दिया था। सिब्बल ने इसे कमर्शियल प्रॉफिट वाली स्पीच करार दिया।हालांकि कोर्ट ने कहा कि सभी को व्यावसायिक लाभ का अधिकार है और कोई भी मुफ्त में काम नहीं करता है।

जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि पहले यह देखने की जरूरत है कि क्या वाद में लगाए गए आरोप किसी मामले पर विचार करने योग्य हैं। आरोप सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। वो कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस पर गौर करने की जरूरत है। जस्टिस सी हरिशंकर ने रामदेव के वकील को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है जिसे आसानी से खारिज किया जा सकता है। आप मुकदमे पर अपना जवाब दाखिल करें।आरोप सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन इस पर गौर किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि वर्तमान मुकदमे को मुकदमा चलाने की अनुमति दिए बिना यूं ही नहीं फेंका जा सकता है। हाई कोर्ट ने मामले को 27 अक्टूबर को लिस्ट किया, जिससे रामदेव के वकील अपनी दलीलें पेश कर सकें।

चिकित्सकों की संस्थाओं ने आरोप लगाया कि रामदेव जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे थे कि एलोपैथी कोरोना से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। चिकित्सक संघों की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि एक महामारी के बीच योग गुरु ने कोरोनिल पर कोविड -19 के इलाज के लिए निराधार दावे किए, जो केवल इम्यूनिटी बूस्टर होने के लिए दवा को दिए गए लाइसेंस के विपरीत था।

उनकी दलील थी कि रामदेव के बयान वास्तविक राय नहीं थे। बल्कि मार्केटिंग और व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए थे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वाणिज्यिक लाभ लेने का अधिकार है। लाभ वास्तव में कोई आधार नहीं है। रामदेव के बयान को आप सार्वजनिक तौर पर गलत साबित करें। अदालत ने एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ कथित बयानों और पतंजलि के कोरोनिल किट के दावों के संबंध में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर गत तीन जून को रामदेव को समन जारी किया था।

ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉक्टर्स एसोसिएशन, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और मेरठ के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

वो जो तारीक राहों में मारे गये : खाद शहीद भोगीलाल पाल की याद को सलाम

रवींद्र गोयल

शुक्रवार (22 अक्टूबर) को dap खाद कि लाइन में खड़े-खड़े , उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के नयागांव के निवासी, 53 वर्षिय भोगीलाल पाल, का देहांत हो गया. वो दो एकड़ खेत की जोत वाला छोटा किसान था। उसके 6 बच्चे थे और बिना रासायनिक खाद के इस जोत पर इतना बड़ा परिवार पालना संभव न था। जानकार लोग बताते हैं अगर dap खाद उपलब्ध होती तो वो साल भर में खेती सम्बन्धी खाद, बीज, पानी आदि का खर्चा काट कर खाने का अनाज जुटा सकता था। नहीं तो खेती पर निर्भर परिवार के लिए भूखे मरना अनिवार्य था। यूँ तो खाद की समस्या आजकल सभी किसानों के सामने है और कई किसान तो इस रबी की फसल के लिए खेत खाली छोड़ने का मन बना चुके हैं लेकिन भोगीलाल जैसे छोटे किसानों की अर्थव्यवस्था इस बात कि इजाजत नहीं देती कि वो अन्य बड़े किसानों की तरह खाद न मिलने के स्थिति में खेत खाली छोड़ दे।

खेती के जानकर बताते हैं की किसानों को रबी कि बुवाई से पहले प्रति एकड़ 45 किलो का एक बोरा डीऐपी खाद अपने खेत में किसी ठीक ठाक फसल के लिये डालना अनवार्य है। यानि भोगीलाल को केवल 2 बोरा डीऐपी खाद की जरूरत थी. और उसी 2 बोरा खाद के न मिल पाने की वजह से भोगीलाल काफी चिंतित था. परेशान था। उसके घर वाले बताते हैं कि पिछले कई दिनों से वो खाद के लिए जिले की विभिन्न दुकानों पर चक्कर लगा रहा था लेकिन उसको खाद नहीं मिल रही थी। गुरुवार (21 अक्टूबर) को वो जुगपुरा की दुकान पर खाद के लिए लम्बी लाइन में लगा लेकिन शाम तक उसका नंबर न आया. वो रात को वहीँ रहा और सुबह फिर लाइन में लगा। नंबर आने से पहले ही वो अचेत होकर लाइन में ही गिर पड़ा। स्थानीय लोग ही उसको अस्पताल ले गए। वहां पहुँचने पर भोगीलाल मृत पाया गया। प्रशासन भोगीलाल की मौत को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ बता रहे हैं। लेकिन उनका भतीजा राघवेन्द्र बताता है (पहले दिन) वह घर नहीं आये... अगले दिन, खाद की दुकान पर अपनी बारी से पहले, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण के बारे में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यह तय है कि वह खाद न मिल पाने की वजह से परेशान था और खाद की लाइन में खड़े-खड़े उसकी मृत्यु हो गयी।

प्रशासन का कहना है कि उनके पास खाद का पर्याप्त भंडार है। लेकिन सच इसके विपरीत ही लगता है। अन्य जगहों की तरह ललितपुर में भी खाद की कमी है.खाद लेने के लिए लम्बी लाइनों का इस का प्रयाप्त सबूत है। तथ्यात्मक तौर पर भी पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में ललितपुर में करीब 32 हजार मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी। लेकिन सूत्रों ने बताया कि जिले में इस समय 19,000 मीट्रिक टन का भंडार है। साथ ही साथ यह भी सच है कि प्रशासन और स्थानीय सरकारी तंत्र के कुप्रबंधन ने इस समस्या को और विकट बना दिया है। जिले की कुल 210 दुकानों में से केवल 150 ही क्रियाशील हैं। अन्य दुकानें विभिन्न कारणों से बंद हैं, जिनमें उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होना भी शामिल है। और यह भी कुप्रबंधन का ही मामला है कि भोगीलाल की मृत्यु के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट अन्नावी दिनेश कुमार ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर खामोश है।

भोगी लाल की दुखद मृत्यु सार रूप में सरकारी निकम्मेपन की वजह से ही है और यदि सरकारी चाल न सुधरी तो निश्चित रूप से खाद समस्या और भी किसानों कि बलि लेगी. विभिन्न जगहों से आ रही किसान आक्रोश की खबरें इसका गवाह है। लेकिन यह तय कि भोगीलाल पाल की शाहदत व्यर्थ न जाएगी। मुझे विश्वास है कि उसकी शाहदत इस निकम्मी सरकार का असली किसान विरोधी चेहरा उजागर करेगी और सरकार पर उचित दबाव बना कर किसानों के जीवन संघर्ष को आसान करेगी।